महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–753/नौ–9–2018– 89ज/2001

प्रेषक,

अखिलानन्द ब्रह्मचारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 24 मई, 2018

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि में से नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु रोकी गयी धनराशि नगर निगम इलाहाबाद को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगर निगम इलाहाबाद को संक्रमित धनराशि में से सम्यक विचारोपरान्त नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एसटीपी व सृजित परिसम्पतियों के संचालन एवं रख–रखाव तथा विद्युत देयकों के भुगतान हेतु **वित्तीय वर्ष 2018–19 की रोकी गयी कुल धनराशि रू0 2178.80 लाख में से रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़) नगर निगम इलाहाबाद** को इस शर्त एवं प्रतिबंध के साथ अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है कि नगर निगम अपने स्तर से जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये एस0टी0पी0 संचालन एवं रख–रखाव के व्यय–विवरण का परीक्षण तकनीकी टीम से कराते हुये अवशेष धनराशि अपने वित्तीय संसाधनों से जल निगम को उपलब्ध करायेगा।

2. कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा शासनादेश संख्या–1358/नौ–9–12–89ज/2001,दिनांक 21.07.2012 में दिये गये निर्देशानुसार नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की प्रगति आख्या शासन को यथासमय उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी इलाहाबाद
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।
7. वेब मास्टर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।